



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]  
No. 213]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2008/माघ 23, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2008/MAGHA 23, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2008

का.आ. 323(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में नवलपट्टु ग्राम, तिरुचिरापल्ली तालुक, तिरुचिरापल्ली जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्वारा उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त नवलपट्टु ग्राम, में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 25 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में नवलपट्टु ग्राम, तिरुचिरापल्ली तालुक, तिरुचिरापल्ली जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	310/10	6.75.0
2.	310/11	5.09.0
3.	310/12	27.85.0
4.	310/13	10.20.0
कुल		49.89.0

[फा. सं. 1/61/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2008

S.O. 323(E).—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Navalpattu Village, Tiruchirapalli Taluk, Tiruchirapalli District in the State of Tamil Nadu.

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it

has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said area of Navalpattu Village on 26th July, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Navalpattu Village, Tiruchirapalli Taluk, Tiruchirapalli District, in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely :—

Sl. No.	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
1.	310/10	6.75.0
2.	310/11	5.09.0
3.	310/12	27.85.0
4.	310/13	10.20.0
<b>Total</b>		<b>49.89.0</b>

[F. No. 1/61/2007-SEZ]  
ANIL MUKIM, Jt. Secy.